कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन विभाग ने **कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य (Krishna Wildlife Sanctuary-KWS)** में शामिल करने के लिये लगभग 300 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है।

प्रमुख बिंदु :

- KWS को मिलने वाले इस नए क्षेत्र को **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO)** द्वारा ली गई भूमि के मुआवज़े के रूप में देखा जा रहा है।
- चिह्नित गई भूमि को कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में शामिल करने की सिफारिश **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife-NBWL)** द्वारा की गई थी।

कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य

(Krishna Wildlife Sanctuary-KWS):

- कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश (भारत) में स्थित है।
- यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में **मैंग्रोव वेटलैंड** का एक हिस्सा है और कृष्णा डेल्टा के तटीय मैदान में स्थित है तथा आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिलों में फैला हुआ है।
- कृष्णा नदी का मुहाना कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है।
- यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में संभवतः **मछली पकड़ने वाली बिल्लियों (Fishing Cats)** की सबसे ज़्यादा आबादी है।

मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ

(Fishing Cats):

- मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्व-एशिया की एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है।
- इसका वैज्ञानिक नाम **प्रियनैलुरस विवरिनस (Prionailurus Viverrinus)** है।
- इनकी संख्या में पिछले एक दशक में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त हो चुके जानवर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में इन बिल्लियों को **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की **अनुसूची I** में शामिल किया गया है, जिसके कारण भारत में इनके शिकार पर रोक है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

(National Board for Wildlife-NBWL):

- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक वैधानिक बोर्ड है जिसका गठन वर्ष 2003 में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर किया गया था।
- NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आस-पास की परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की संरचना के तहत इसमें 15 अनिवार्य सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/krishna-wildlife-sanctuary